न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर भरतपुर

अपील संख्या 11/2019 (अंतर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम)

नरेश उर्फ मानसिह पुत्र चामण्ड जाति ठाकुर निवासी ग्राम खदराया तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भुसावर जिला भरतपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.09.18 तहसीलदार भुसावर मि0सं0 79/2018 राजस्थान सरकार बनाम नरेश उर्फ मानसिह (91 एलआर एक्ट)

उपस्थित :

1. श्री रूपेन्द्र सिह वकील अपीलान्ट।
2. पेरोकार सरकार।

निर्णय

दिनांक – 25.04.2019

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के अंतर्गत तहसीलदार भुसावर की आज्ञा दिनांक 24.09.2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि तहत अदालत ने अपने अपीलाधीन आदेश में सम्बत 2075 में ग्राम खदराया की मरघट भूमि आराजी खसरा नम्बर 509 एवं 510 रकबा क्रमशः 2–19 बीघा एवं 3–19 बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से फसल बाजरा बो कर अपीलान्ट नरेश उर्फ मानसिह का अतिक्रमण सिद्ध होने पर अपीलान्ट पर लगान राशि 2 रूपये का पचास गुना राशि 100 रूपये की शास्ती आरोपित करते हुये मौके से बेदखल कर सामग्री आदि को कुर्क कर नीलाम करने साथ ही गत सम्वत में भी उपरोक्त राजकीय भूमि पर अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण किये जाने के परिणामस्वरूप पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के कारण तीन माह (90 दिवस) के सिविल

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कारावास के दण्ड से भी अपीलान्ट को दण्डित किया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहत अदालत ने केवल पटवारी हल्का के बयान लेकर आदेश पारित किया है जो नैसर्गिक न्याय के सिद्वान्तो के खिलाफ निर्णय किया है। यह कि अपीलान्ट की आराजी खसरा नम्बर 468 ग्राम खदराया तहसील भुसावर में स्थित है जिसका मरघट भूमि से कोई लेना देना नहीं है। मरघट की भूमि खसरा नम्बर 509 व 510 पर पुख्ता बाउण्ड्रीबाल का निर्माण किया हुआ है जब मरघट की भूमि पर पुख्ता बाउण्ड्री बनी हुई है तो अपीलान्ट का कब्जा कैसे हो सकता है। यदि हमारे खातेदारी मे मरघट की भूमि निकलती है तो हम देने को तैयार है। हमारे द्वारा खसरा नम्बर 509 व 510 पर अतिक्रमण नही किया है। अपीलान्ट सामान्य कृषक परिवार से जो पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आता है। पटवारी द्वारा बिना किसी आधार के गलत रिपोर्ट तहत अदालत में प्रस्तुत की है। अपीलान्ट को समुचित साक्ष्य/सुनवाई/जबाब का भी कोई अवसर नहीं दिया गया है। केवल नोटिस जारी कर निर्णय पारित कर दिया है। नोटिस भी प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ है। नोटिस प्रार्थी के भाई ने प्राप्त किया जो प्रार्थी को नही बताया गया है। वकील अपीलान्ट का यह भी कथन है कि प्रार्थी के विरूद्ध तहत न्यायालय द्वारा जो कार्यवाही की गई वह कार्यालय में बैठकर की गई है। कोई भी स्वतंत्र गवाह भी नही है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2018 पारित किया गया है जो काबिल मंसूखी है। इसके अलावा तहत पत्रावली पर अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिससे अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी माना जा सके। एकतरफा में अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्यान्तों के विपरीत भी है। प्रार्थी का गांव मे अकेला घर है इसलिये गांव क प्रभावशाली लोग तहसीलदार/पटवारी मिलीभगत कर अनावश्यक रूप से परेशान की नीयत से कार्यवाही कराते रहते है। इसके अलावा चूकि अपीलाधीन आदेश अपीलान्ट के वैक पर पारित किया गया हैं। इसलिये अपीलान्ट को इसकी कतई जानकारी नहीं थी। इसकी प्रथम जानकारी दिनांक 23.01.2019 को एस.एच.ओ. भुसावर के माध्यम से हुई। जानकारी होते ही नकल इत्यादि प्राप्त कर अपील की कार्यवाही की गई है। अतः होने जानकारी व मिलने नकल से अपील अन्दर म्याद

अतिरिक्त जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

शुमार की जावे। जिसके लिये प्रथक से दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र संलग्न है। अन्त में वकील अपीलान्ट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2018 आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाये जाने का निवेदन किया गया।

पैरोकार सरकार ने तहत अदालत तहसीलदार भुसावर के अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2018 की ताईद करते हुये कथन किया गया कि तहत अदालत द्वारा विधिवत कानूनी प्रकिया अपनाई जाकर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिसमें कतई किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अपीलान्ट द्वारा आराजी खसरा नम्बर 509 में से 0.04 बीघा तथा आराजी खसरा नम्बर 510 में से 0.02 बीघा पर अतिक्रमण कर रखा है। पहले भी अतिक्रमण करने पर कार्यवाही की गई है। नोटिस की तामील करावाई गई है वावजूद तामील अनुपस्थित रहे है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट के खिलाफ उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान भू राजस्व आधिनियम 1956 की धारा 91 के अंतर्गत की गई है जिसका तहत अदालत को वखूबी अधिकार प्राप्त है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट के खिलाफ तहत अदालत द्वारा की गई कार्यवाही न्यायसंगत है। अपीलान्ट के हक में आज दिनांक तक उक्त भूमि का आवंटन/नियमन नहीं हुआ है यह भूमि मरघट भूमि है । राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में वर्जित होने से नियमन योग्य भी नहीं है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट किसी भी सहानुभूति का पात्र नहीं है। अपीलान्ट राजकीय मरघट भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदि भी है। इसलिए तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश बखूबी न्याय संगत है। अन्त में पैरोकार सरकार द्वारा अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज फरमाये जाने एवं अपीलाधीन आदेश दिनांक 24. 09.2018 यथावत रखे जाने का निवेदन किया गया।

हमने वकील उभयपक्ष की बहस तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार भुसावर के तहत रिकार्ड से यह स्पष्ट है कि अपीलान्ट द्वारा गत वर्ष सम्वत 2073 फसल खरीफ में अतिक्रमण किया था जिस पर नियमानुसार तहत अदालत द्वारा कार्यवाही अन्तर्गत धारा 91 एलआर एक्ट अमल में लाते हुये मुकदमा संख्या 60/2017 दर्ज कर बाद सुनवाई दिनांक 11.02.2017 को निर्णय पारित हो चुका है ऐसी स्थिति में अपीलान्ट का यह कहना कि वह पश्चातवर्ती अतिक्रमी की संज्ञा में नहीं आता है कतई स्वीकार योग्य नहीं रहता है। इसके अलावा पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी दिनांक 10.08.2018 से वर्तमान अतिक्रमण की पुष्टि हो जाती है। इस प्रकार अपीलान्ट पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने

अ... जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

की तारीफ में आ आ जाता है। उक्त तमाम तथ्यों के विपरीत वकील अपीलान्ट द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य/सबूत अदालत हाजा के समक्ष पेश नहीं किया जिससे पैरोकार सरकार के कथनों एवं तहत रिकार्ड के अतिक्रमी एवं पश्चातवर्ती अतिक्रमी होने के तथ्यों की आधारहीन होने की पुष्टि हो सके। तहत रिकार्ड में संलग्न अपीलान्ट के जारी नोटिस की विधिवत तामील होना स्पष्ट है। अपीलान्ट द्वारा बार–बार उक्त मरघट भूमि पर अतिक्रमण किया जाना भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 91 के उल्लंघन के साथ साथ अपीलान्ट की गलत मंशा को भी दर्शाता है जो न्यायोचित नहीं है। अतिक्रमित भूमि मरघट होने से तहत अदालत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलान्ट आधारहीन होने के कारण खारिज योग्य ही रहता है।

अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आधारहीन होने कारण खारिज की जाती है एवं तहत अदालत तहसीलदार भुसावर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 24.09.2018 में कोई विधिक त्रुटि न पाये जाने के कारण यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25.04.2019 को सुनाया गया।

(नारायण सिंह चारण)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भरतपुर (न.)